सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 की धारा–4(1)(ख) के अन्तर्गत आबकारी विभाग से सम्बन्धित 16 बिन्दुओं पर लोक प्राधिकारियों से अपेक्षित सूचनाओं का विवरण

(7) किसी व्यवस्था का विवरण जिसमें उसकी नीति निर्माण अथवा उसके कार्यान्वयन के सम्बन्ध में लोक सदस्यों के साथ परामर्श या उनके द्वारा अभ्यावेदन के लिए विद्यमान है :–

आबकारी विभाग का कार्य इस प्रकृति का नहीं है, जिसमें इसकी आवश्यकता पड़ती हो, फिर भी पारदर्शिता के उद्देश्य से समय–समय पर नीति निर्धारण हेतु सम्बन्धित स्टेक होल्डर्स के साथ परामर्श/चर्चा की जाती है, जिसमें मुख्य रूप से शीरा परामर्श समिति निर्धारित है।